



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 498] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 1975/अग्रहायण 27, 1897
No. 498] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 1975/AGRAHAYANA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 18th December 1975

S.O. 710(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 1975.
- (2) They shall come into force on the 1st day of April, 1976.
2. In rule 6D of the Income-tax Rules, 1962, in sub-rule (2), in clause (b)—
 - (a) in sub-clause (i), for the entry “Rs. 80 per day or part thereof.” the entry “Rupees 100 per day or part thereof.” shall be substituted;
 - (b) in sub-clause (ii), for the entry “Rs. 40 per day or part thereof.” the entry “Rs. 50 per day or part thereof.” shall be substituted.

[No. 1167/F. No. 142/57/74-TPL]

O. P. BHARDWAJ,

Secretary,

Central Board of Direct Taxes.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 18th December, 1975.

.- In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1976.

2. In rule 6D of the Income-tax Rules, 1962, in sub-rule (2), in clause (b) -

(a) in sub-clause (1), for the entry "Rs. 80 per day or part thereof.", the entry "Rs. 100 per day or part thereof." shall be substituted;

(b) in sub-clause (ii), for the entry "Rs. 40 per day or part thereof.", the entry "Rs. 50 per day or part thereof." shall be substituted.

[No. 1167/F.No.142/57/74-TPL]

O.P. Bhardwaj
(O.P. BHARDWAJ)
SECRETARY,
CENTRAL BOARD OF DIRECT

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i)
में प्रकाशनार्थ

केन्द्रीय प्रत्यक्षा कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1975

केन्द्रीय प्रत्यक्षा कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 1975 है
(2) ये 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 68 में, उप-नियम (2) में,
खण्ड (ख) में, -
 - (क) उप-खण्ड (i) में, 'प्रति दिन या उसके भाग के लिए
80 रु०' प्रविष्टि के स्थान पर 'प्रति दिन या उसके
भाग के लिए 100 रु०' प्रविष्टि रखी जायगी ;
 - (ख) उप-खण्ड (ii) में, 'प्रति दिन या उसके भाग के लिए
40 रु०' प्रविष्टि के स्थान पर, 'प्रति दिन या उसके
भाग के लिए 50 रु०' प्रविष्टि रखी जायगी।

(सं० 11671 फ 10 सं० 142157174- टी. पी. एल.)

प्रो. पी. मारहाज

(ओ० पी० मारहाज) 17/12/75

सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्षा कर बोर्ड

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1975

का० आ० 710(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1975 है।
- (2) ये 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होंगे।
2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 6घ में, उप-नियम (2) में, खण्ड (ख) में,—
 - (क) उप-खण्ड (i) में, “प्रति दिन या उस के भाग के लिए 80 रु०” प्रविष्टि के स्थान पर “प्रतिदिन या उस के भाग के लिए 100 रु०” प्रविष्टि रखी जाएगी ;
 - (ख) उप-खण्ड (ii) में, “प्रति दिन या उस के भाग के लिए 40 रु०” प्रविष्टि के स्थान पर, “प्रति दिन या उस के भाग के लिए 50 रु०” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[सं० 1167/फा० सं० 142/57/74—टी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव,

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।